झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान–सभा

त्रयोदश सत्र

वर्ग– 01

12 फाल्गुन, 1935 [श0]

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न,सोमवार,दिनांक–..... को

03 मार्च, 2014 [ई0]

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे:–

कमांक–	विभागों को भेजी गई सां0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तथि
01.	02.	03.	04	05.	06.
157.	टन–17	श्री चन्द्रिका महथा	सौन्दर्यीकरण करना।	पर्यटन	21.02.14
158.	ग– 09	श्री निजामउद्दीन अंसारी	परसन ओ0पी0 को थाना का दर्जा।	गृह	18.02.14
159.	टन–06	श्री माधवलाल सिंह	पर्यटन स्थल का दर्जा देना।	पर्यटन	17.02.14
160.	टन–05	श्री सौरभ नारायण सिंह	सौदर्यीकरण का कार्य पूर्ण करना।	पर्यटन	17.02.14
161.	का–07	श्री उमाकान्त रजक	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	कार्मिक	16.02.14
162.	टन–11	श्री जनार्दन पासवान	पर्यटन क्षेत्र का दर्जा।	पर्यटन	18.02.14
163.	टन–16	श्री विष्णु प्रसाद भैया	पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना।	पर्यटन	22.02.14
164.	ग– 08	श्री माधवलाल सिंह	थाना बनाना।	गृह	17.02.14
165.	टन–19	श्री कमलेश उराँव	पर्यटन के लिए विकास कार्य कराना।	पर्यटन	24.02.14
166.	का–10	श्री प्रदीप यादव	उच्चतर पदों पर प्रोन्नति।	कार्मिक	19.02.14
167.	ग– 10	श्री रामदास सोरेन	देश पारगनों को सम्मानित करना।	गृह	18.02.14

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.	05.	06.
168.	का—16	श्री मिस्त्री सोरेन	अनुमण्डल का दर्जा।	कार्मिक	21.02.14
169.	ग— 11	श्री निजामउद्दीन अंसारी	थाना का दर्जा देना।	गृह	18.02.14
170.	का—06	श्री विनोद कुमार सिंह	अनुमण्डल बनाना।	कार्मिक	16.02.14
171.	ग— 18	श्री रामदास सोरेन	पदाधिकारियों का स्थानान्तरण।	गृह	22.02.14
172.	ग— 05	श्री बन्ना गुप्ता	उग्रवाद भत्ता देना।	गृह	17.02.14
173.	का—15	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	वेतन भुगतान करना।	कार्मिक	20.02.14
174.	टन—09	श्री हरिकृष्ण सिंह	पहाड़ी मंदिर का सौन्दर्यीकरण।	पर्यटन	18.02.14
175.	का—09	श्री हेमलाल मुर्मू	दण्डित करना।	कार्मिक	17.02.14
176.	टन—15	श्रीमती विमला प्रधान	डेम को पर्यटकीय सुविधा देना।	पर्यटन	19.02.14
177.	का—11	श्रीमती विमला प्रधान	अनुसूचित जाति का लाभ दिया जाना।	कार्मिक	19.02.14
178.	का—13	श्री विदेश सिंह	पांकी को अनुमंडल का दर्जा देना।	कार्मिक	19.02.14
179.	टन—13	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	सौन्दर्यीकरण करना।	पर्यटन	19.02.14
180.	वि—01	श्री संजय कुमार सिंह यादव	उप कोषागार की स्थापना करना।	वित्त	17.02.14
181.	टन—03	श्री लक्ष्मण गिलुवा	मूलभूत सुविधा की व्यवस्था करना।	पर्यटन	16.02.14
182.	ग— 13	श्री समरेश सिंह	सी0बी0आई0 से जाँच करना।	गृह	18.02.14
183.	ग— 15	श्री अरूप चटर्जी	गृह रक्षावाहिनी के मांगो पर पुनर्विचार करना।	गृह	18.02.14
184.	टन—08	श्री जय प्रकाश सिंह भोगता	पर्यटन स्थल घोषित करना।	पर्यटन	17.02.14
185.	का—04	श्री अनन्त प्रताप देव	प्रखण्ड का दर्जा देना।	कार्मिक	14.02.14
186.	का—17	श्री नलिन सोरेन	प्रखण्ड का दर्जा देना।	कार्मिक	24.02.14
187.	ग— 16	श्री विद्युत वरण महतो	पुलिस स्टेशन स्थापित करना।	गृह	18.02.14
188.	ग— 14	श्री अरूप चटर्जी	थाना का निर्माण	गृह	18.02.14
189.	ग— 04	श्री अनन्त प्रताप देव	कारा भवन के निर्माण कार्य को पूरा करना।	गृह	14.02.14
190.	ग— 17	श्री जनार्दन पासवान	राशन मनी प्रदान करना।	गृह	19.02.14
191.	टन—07	श्री संजय कुमार सिंह यादव	तालाब का सौदर्यीकरण करना।	पर्यटन	17.02.14

01.	02.	03.	04.	05.	06.
192.	का—18	श्री ढुलू महतो	अनुमण्डल बनाना।	कार्मिक	20.02.14
193.	का—14	श्री संजय प्रसाद यादव	विभागीय कार्रवाई करना।	कार्मिक	20.02.14
194.	टन—18	श्री मिस्त्री सोरेन	पर्यटन हेतु विकास करना।	पर्यटन	23.02.14
195.	का—12	श्री सत्यानन्द झा (बाटुल)	अनुसूचित जाति का दर्जा देना।	कार्मिक	19.02.14
196.	टन—12	श्री विद्युत वरण महतो	आधारभूत संरचना से समृद्ध करना।	पर्यटन	18.02.14
197.	का—08	श्री हेमलाल मुर्मू	राजस्व के अतिरिक्त बोझ रोकना।	कार्मिक	17.02.14
198.	टन—10	श्री अरविन्द कुमार सिंह	निधि उपलब्ध कराते हुए विकास कार्य करना।	पर्यटन	18.02.14
199.	ग —20	श्री पौलुस सुरीन	पुलिस पिकेट का निर्माण।	गृह	24.02.14
200.	ग —12	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	गृह	18.02.14
201.	ग —19	श्रीमती मेनका सरदार	थाना का हस्तानांतरण	गृह	24.02.14
202.	ग —07	श्री सौरभ नारायण सिंह	वेतन एवं ग्रेड पें के विसंगतियों को दूर करना।	गृह	17.02.14
203.	टन—04	श्री लक्ष्मण गिलुवा	विश्रामगृह एवं पूजा स्थल का निर्माण करना।	पर्यटन	16.02.14
204.	ग —06	श्री बन्ना गुप्ता	विधि व्यवस्था एवं अनुसंधान अलग करना।	गृह	17.02.14
205.	टन—14	श्री अरविन्द कुमार सिंह	दलमा एवं पलना डेम को विकसित करना।	पर्यटन	19.02.14

राँची,
दिनांक— 03 मार्च, 2014 (ई0)।

सुशील कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा,राँची।

ज्ञापांक— झा0 वि0 स0 (प्रश्न) —03/07—999/वि0 स0, राँची, दिनांक— 01-03-14

प्रतिः— झारखण्ड विधान—सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/अन्य मंत्रिगण/मुख्य सचिव तथा महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/3/14

(छोटे लाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा,रांची।

ज्ञापांक— झा0 वि0 स0 (प्रश्न) —03/07—999/वि0 स0, राँची, दिनांक— 01-03-14

प्रतिः— माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं उप सचिव (प्रश्न) के संयुक्त सचिव, को सूचनार्थ प्रेषित।

01/3/14

अवर सचिव,झारखण्ड विधान—सभा,राँची।

अशोक/—

158

श्री निजामउद्दीन अंसारी, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–03.03.2014 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के राजधनवार प्रखण्ड स्थित परसन ओ०पी० को थाना दर्जा प्राप्त है ;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि थाना का दर्जा प्राप्त परसन ओ०पी० चाहरदिवारी बिहिन खपरैल के मकान में अवस्थित है ;	आंशिक अस्वीकारात्मक। वस्तुतः यह ओ०पी० के रूप में किराये के खपरैल मकान में कार्यरत है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार थाना का दर्जा प्राप्त परसन ओ०पी० को थाना का स्वरूप देने हेतु चाहरदिवारी, भवन आदि का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–3/वि०स०/1005/2014 1220 / राँची, दिनांक–02/03/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2-3-14
सरकार के उप सचिव।

(160)

श्री सौरभ नारायण सिंह, स०वि०स०, द्वारा दिनांक – 03.03.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या – टन 05 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग झील के चारों ओर सीढ़ी निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य हो रहा था, लगभग दो–तीन वर्षो से अधुरा पड़ा है, तो क्या सरकार झील के चारों ओर सौन्दर्यीकरण का कार्य अविलम्ब पूर्ण कराना चाहती है अगर हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	1.	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि I. सीढ़ी निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य जिला परिषद्, हजारीबाग द्वारा कराया जा रहा है। 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। II. केन्द्रीय वित्तीय सहायता से प्राप्त राशि से हजारीबाग लेक के डेवलपमेंट तथा डेवलपमेंट ऑफ लेक फन्ट की योजना का कार्यान्वयन उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा कराया जा रहा है। इन योजनाओं की प्राक्कलित राशि ₹ 266.76 लाख रू० है जिसके विरूद्ध अभी तक उपायुक्त हजारीबाग को कुल ₹ 199.26 लाख रू० उपलब्ध कराया जा चुका है। उनके द्वारा कुल ₹ 175.6009 लाख रू० का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक – पर्यटन/वि०स०/13/2014.....385...../राँची, दिनांक.....26.02.2014...../

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 361/वि०स०, दिनांक 17/02/2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/14

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

(161)

उत्तर की तिथि:–03.03.2014

श्री उमाकांत रजक, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का०–07 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अन्तर्गत चास प्रखण्ड में कार्यरत श्री त्रिभूवन सिंह, प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी सेवा नियमावली का दुरूपयोग करते हुए पिछले 20 वर्षों से पदस्थापित हैं।	अस्वीकारात्मक। श्री त्रिभूवन कुमार सिंह, प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी दिनांक–01.02.2004 से प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, चास अंचल, बोकारो के पद पर पदस्थापित हैं।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इनके नियुक्ति का वर्ष पदनाम एवं बोकारों जिला में किन–किन पदों में कितने दिनों तक प्रतिनियुक्ति रहे हैं का ब्योरा उपलब्ध कराते हुए संबंधित दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	तारांकित प्रश्न संख्या का०–07 के उपर्युक्त खण्ड का उत्तर अस्वीकारात्मक है। इनकी नियुक्ति की तिथि 28.05.1997 है। श्री सिंह की पूर्व पदस्थापन निम्न प्रकार हैं:– 1. मई, 1997 से जनवरी, 2004 तक सहकारिता प्रसार पदाधिकारी जामताड़ा। 2. फरवरी, 2004 से 05.03.2010 तक प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, चास। 3. 06.03.2010 से अब तक सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, चास अंचल, बोकारो। श्री सिंह के स्थानान्तरण का मामला विचाराधीन है। स्थापना समिति की आगामी बैठक में इनके स्थानान्तरण पर निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
सहकारिता विभाग

ज्ञापांक– 01 / स्था०अराज०(वि०स०प्र०)–51 / 14 सह० 700 **/राँची, दिनांक–** 20/02/2014

प्रतिलिपि:– सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची / अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची का ज्ञाप संख्या–323 दिनांक–16.02.2014 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/2/14.

(बन्धना कुल्लू)
सरकार के संयुक्त सचिव।

Sumant murmu/Vidhan Sabha

(162)

श्री जनार्दन पासवान, स०वि०स०, द्वारा दिनांक – 03.03.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या – टन 11 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत माँ कौलेश्वरी मंदिर प्रखण्ड, हंटरगंज, कुंदा में महादेव मठ प्रखण्ड कान्हाचट्टी के ग्राम – करमा में महादेव पोखर तथा तमासीन में जिले एवं अन्य दूर–दूर से लोग पूजा–अर्चना एवं घुमने हेतु उपरोक्त स्थलों पर बहुतायत संख्या में आते है ;	1.	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि I. माँ कौलेश्वरी मंदिर पर प्रतिदिन लगभग 1500 एवं वार्षिक लगभग 200000 (दो लाख) श्रद्धालु एवं विदेशी पर्यटक आते है। इस पर्वत पर एक कुँआ है जिसमें टयूबवेल लगा हुआ है, जिसमें शुद्ध पेयजल रहता है तथा साथ ही एक प्राचीन बड़ा तालाब है। इस मंदिर पर जाने का दो तरफ से रास्ता है। II. कुन्दा में महादेव मठ में प्रतिदिन लगभग 50–100 व्यक्ति आते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर 1000–1500 संख्या में लोग आते हैं। III. (क) करमा में महादेव पोखर में प्रतिदिन 15–20 व्यक्ति तथा वर्ष में औसतन 2200 व्यक्ति आते हैं। यहाँ कालीकरन पथ से पहुँचा जाता है। (ख) करमा में तमासीन जलप्रपात में प्रतिदिन लगभग 50 व्यक्ति तथा वर्ष में औसतन 18000 (अठारह हजार) व्यक्ति आते हैं। यहाँ कालीकरन पथ से पहुँचा जाता है एवं जलप्रपात तक कच्ची सड़क से पहुँच जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त सभी स्थलों को पर्यटन क्षेत्र का दर्जा देने से उपरोक्त क्षेत्र का विकास पर्यटकों में वृद्धि, स्थानीय लोगों को रोजगार एवं सरकार को राजस्व का लाभ होगा ;	2.	स्वीकारात्मक। I. विभागीय पत्रांक 74, दिनांक 13.01.2014 द्वारा माँ कौलेश्वरी मंदिर पर रोप–वे का निर्माण तथा कान्हा चट्टी के ग्राम – करमा में तमासीन का विकास हेतु उपायुक्त, चतरा से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन माँगा गया है। II. कौलेश्वरी मंदिर के पर्यटकीय विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2003–04 में 15,29,200.00 रूपये की राशि आवंटित की गयी थी, जिससे सीढ़ी निर्माण, यात्री शेड, सिटिंग चेयर एवं पेयजल आपूर्ति का कार्य कराया गया है। III. महादेव मठ हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में उपायुक्त, चतरा को सरकारी आश्वासन संख्या 13/2011 के आलोक में 10.00 लाख रूपया आवंटित किया गया था। महादेव मठ के पर्यटकीय विकास के संबंध में विभागीय पत्रांक 183, दिनांक 05.02.2014 द्वारा उपायुक्त, चतरा से प्रतिवेदन की माँग की गई है।
3.	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी स्थलों को पर्यटन क्षेत्र का दर्जा देने का विचार रखता है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	पर्यटन विभाग किसी भी पर्यटक स्थल को पर्यटन स्थल घोषित नहीं करता है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/20/2014 415 /राँची, दिनांक 28/02/14 /

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 523/वि०स०, दिनांक 18/02/2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/14

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

(163)

श्री विष्णु प्रसाद भैया, स०वि०स०, द्वारा दिनांक–03.03.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन 16 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के मिहिजाम थाना क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले लाधना डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग होती आ रही है ;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि जिला प्रशासन द्वारा लाधना डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु तीन करोड़ रूपये की राशि की मांग वर्ष 2013 में पर्यटन विभाग से की गई है ;	2.	वस्तुस्थिति यह है कि उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक 165, दिनांक 20.06.2012 द्वारा 284.06 लाख का प्राक्कलन भेजते हुए प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। भूमि की उपलब्धता के संबंध में प्रतिवेदन स्पष्ट नहीं होने के कारण पर्यटन विभाग के पत्रांक 1314, दिनांक 30.08.2012 द्वारा उपायुक्त, जामताड़ा से भूमि की उपलब्धता के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन की माँग की गई है।
3.	क्या यह बात सही है कि लाधना को पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त होने से इस पिछड़े क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे ;	3.	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या जामताड़ा जिला के लाधना डैम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	4.	भूमि की उपलब्धता के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण तत्काल यह योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन / वि०स० / 25 / 2014 399 / राँची, दिनांक 28.02.2014 /

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 735 / वि०स०, दिनांक 22 / 02 / 2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/14

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री माधव लाल सिंह सिंह, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–03.03.2014 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत बेरमो अनुमंडल के तेनुघाट शिविर संख्या–1, कथारा एवं लालपनिया में पुलिस आउट पोस्ट 1988–89 से ही स्थापित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पुलिस आउट पोस्ट अंतर्गत बड़ी आबादी निहित है, साथ ही अपराध एवं उग्रवाद पर नियंत्रण करने में काफी सहायक होती है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो जिलान्तर्गत तेनुघाट शिविर संख्या–1, कथारा एवं लालपनियां पुलिस आउट पोस्ट को स्वतंत्र थाना बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	पुलिस अधीक्षक, बोकारो द्वारा तेनुघाट शिविर संख्या–01, कथारा एवं ललपनियाँ पुलिस आउट पोस्ट को स्वतंत्र थाना बनाने हेतु उपायुक्त, बोकारो से अनुशंसा की मांग की गयी है। अनुशंसा प्राप्त होते ही सरकार के स्तर पर उक्त थानों को स्वतंत्र थाना बनाने का निर्णय लिया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–11 / 2014 2010 / राँची, दिनांक–02/03/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.3.14
सरकार के उप सचिव।

(166)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.03.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– का0–10 का प्रश्नोत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड निर्वाचन सेवा संवर्ग के बिहार से प्राप्त सभी 40 पदों का विलय झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में कर दिया गया है, किन्तु कार्यरत निर्वाचन पदाधिकारियों का नाम झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की वरीयता सूची में शामिल अबतक नहीं किया गया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। उल्लेखनीय है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0– 4933 दिनांक 12.09.2008 द्वारा मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग के उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं अवर निर्वाचन पदाधिकारी के स्वीकृत पदों को राज्य प्रशासनिक सेवा के साथ विलय किया गया है। उक्त पद पर राज्य गठन के पूर्व से कार्यरत निर्वाचन संवर्ग के पदाधिकारियों को प्रोन्नति एवं अन्य लाभ उन्हीं के मूल संवर्ग एवं अविभाजित बिहार राज्य के पदाधिकारियों की भांति Next below rule के अनुसार देय होगी, अर्थात बिहार राज्य में पदस्थापित निर्वाचन संवर्ग के किसी कनीय पदाधिकारी को प्रोन्नति हेतु वेतन/सुविधा मिलने पर झारखण्ड राज्य में पदस्थापित पदाधिकारियों को समतुल्य लाभ देय होगा। निर्वाचन संवर्ग के पदाधिकारी के सेवानिवृत्ति के पश्चात् रिक्त पद स्वतः झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में समाहित होते जायेंगे। अतः अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर कार्यरत पदाधिकारियों को झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के वरीयता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है।
2.	क्या यह बात सही है कि कार्यरत निर्वाचन पदाधिकारी सम्प्रति वेतनमान रू0 15600–39100/– ग्रेड पे 6600/– एवं 7600/– पर ही बिना किसी पदीय लाभ के विगत 25–30 वर्षों की सेवा के बाद भी अवर सचिव के रैंक के पद पर कार्यरत हैं, जबकि 7600/– ग्रेड पे झा0प्र0से0 में उप सचिव स्तर के पद का वेतनमान निर्धारित है;	अस्वीकारात्मक । उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग के निर्वाचन संवर्ग के कार्यरत पदाधिकारी उनके लिए किए गए प्रावधान के अनुसार पदीय लाभ एवं वित्तीय लाभ प्राप्त कर रहे है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब निर्वाचन पदाधिकारियों का झा0प्र0से0 के वरीयता सूची में बैच के हिसाब से शामिल करते हुए उच्चत्तर पदों पर प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	ऐसा करने का कोई विचार सरकार के समक्ष नहीं है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 4/विधानसभा–08–02/2014 का॰ 1885 / राँची, दिनांक 24 फरवरी, 2014

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0– 572 वि.स. दिनांक 19.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14.

(यतीन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

प्रारूप 167

श्री रामदास सोरेन, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–03.03.2014 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में आदिवासी स्वशासन परंपरा व्यवस्था जैसे–कोल्हान में मानकी–मुण्डाओं एवं संथाल परगना में मांझी परगणितों को प्रतिमाह 2000/– रूपये सम्मानित राशि दी जाती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। प० सिंहभूम (चाईबासा) जिलान्तर्गत कोल्हान एवं पोड़ाहट क्षेत्र में परम्परागत ग्रामीण प्रशासन में मानकी, मुण्डा एवं डाकुवा कार्यरत है। ब्रिटिश काल में इस परम्परागत व्यवस्था को विलकिन्सन रूल के तहत एक सास्थिक स्वरूप दिया गया है। इनके कार्यो एवं दायित्व के संबंध में हुकुमनामा निर्गत है। इनका मुख्य कार्य राजस्व संग्रहण, स्थानीय लोगो की सुरक्षा एवं बाहरी आवांछनीय तत्वों से ग्रामीणों की सुरक्षा प्रदान करना होता है। गृह विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–22, दिनांक–06.05.2004 द्वारा प० सिंहभूम (चाईबासा) जिलान्तर्गत कोल्हान एवं पोड़ाहट क्षेत्र में कार्यरत मानकी मुण्डा एवं डाकुवा को क्रमशः 1500.00 (एक हजार पाँच सौ) 1000.00 (एक हजार) एवं 500.00 (पाँच सौ) प्रतिमाह सम्मान राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–1675, दिनांक–12.04.2008 द्वारा संथाल परगना प्रमंडल में कार्यरत परम्परागत ग्रामीण प्रधानों को 1000.00 तथा पं० सिंहभूम के पोड़ाहाट क्षेत्र के ठीकेदार एवं प्रधान को 1000.00 तथा डाकुवा को 500.00 प्रतिमाह की दर से सम्मान राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में ही पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावां एवं चाईबासा के कुछ हिस्सों में मांझी हाठाम नायके, गोडेत पारगना तथा देश पारगनों की व्यवस्था है परन्तु इन्हें किसी प्रकार की सम्मानित राशि देय नही है ;	कंडिका एक में वर्णित तथ्यों के आलोक में मांझी हाठाम, नायके, गोडेत पारगना तथा देश पारगनों को सम्मान राशि देय नहीं है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–(i) में वर्णित व्यवस्था के तर्ज पर खण्ड––(ii) में वर्णित व्यवस्थाओं जैसे मांझी हाठाम, नायके, गोडेत पारगना तथा देश पारगनों को भी सम्मानित राशि देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	सम्प्रति सरकार के विचाराधीन नही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–17/वि०स०–26/2014-2009/ राँची, दिनांक–02/03/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(168)

माननीय स०वि०स० श्री मिस्त्री सोरेन द्वारा दिनांक 03.03.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–16 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जिला–पाकुड़ के अन्तर्गत महेशपुर अनुमंडल का दर्जा देने हेतु सभी आवश्यक अर्हताओं को पुरा करती है;	इस संबंध में संबंधित जिले के उपायुक्त एवं संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त से वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रशासनिक इकाईयों के पुर्नगठन के संबंध में गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर प्रशासनिक व्यवहारिकता एवं अन्य वैधानिक बिन्दुओं के परीक्षण हो जाने के उपरांत ही राज्य सरकार के द्वारा इस पर निर्णय लिया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा अनुमंडल निर्माण हेतु जन सहमति प्रस्ताव को प्रखण्ड–महेशपुर, पाकुड़िया, अमड़ापाड़ा एवं जिला स्तर से यह फिर कमिश्नरी स्तर से भी सहमति प्राप्त हो चुकी है, इसके बावजुद इस सत्र में 2012–13 में अनुमण्डल नहीं बनाया गया है;	(क) पाकुड़ जिलान्तर्गत महेशपुर अनुमण्डल सृजन के संबंध में उपायुक्त, पाकुड़ से प्रतिवेदन प्राप्त है। संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त से प्रतिवेदन की मांग की गयी है, जो सम्प्रति प्रतीक्षित है। (ख) प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रशासनिक इकाईयों के पुर्नगठन के संबंध में गठित उच्चस्तरीय समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ रखने हेतु इस पर निर्णय लिया जायेगा।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आगामी सत्र 2014–15 में महेशपुर को अनुमंडल का दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों नहीं?	इस संबंध में जिले से संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त से वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रशासनिक इकाईयों के पुर्नगठन के संबंध में गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर प्रशासनिक व्यवहारिकता एवं अन्य वैधानिक बिन्दुओं के परीक्षण हो जाने के उपरांत ही राज्य सरकार के द्वारा इस पर निर्णय लिया जाता है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–16/2014 का०–2031/राँची, दिनांक– 26/2/14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–673, दिनांक 21.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/14.

(यतीन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

श्री निजामउद्दीन अंसारी, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–03.03.2014 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के गावाँ प्रखण्ड में पिहरा पुलिस पिकेट अवस्थित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि पिहरा पुलिस पिकेट उग्रवाद प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा को चुस्त–दुरूस्त रखने हेतु थाना का दर्जा प्राप्त करने का अहर्ता रखता है ;	पिहरा में पुलिस ओ०पी० खोलने का प्रस्ताव महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक –2098, दिनांक–25.07.2012 द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र, हजारीबाग को भेजा गया है। उप महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र, हजारीबाग के ज्ञापांक –2245, दिनांक–14.08.2012 द्वारा आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र, हजारीबाग से अनुशंसा की मांग की गई है। आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र, हजारीबाग से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत पिहरा में पुलिस ओ०पी० खोलने पर सरकार के स्तर से निर्णय लिया जा सकता है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विधि व्यवस्था सुचारू रूप से संधारण एवं सुरक्षा को चुस्त–दुरूस्त रखने हेतु पिहरा पुलिस पिकेट को थाना का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	यथा उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 पर प्रतिवेदित।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–13/2014–2006/ राँची, दिनांक–02/03/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.3.14

सरकार के उप सचिव।

(170)

माननीय स०वि०स० श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा दिनांक 03.03.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–06 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है उपायुक्त गिरिडीह, आयुक्त हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति ने 23.8.10 की बैठक में बगोदर को अनुमंडल की दर्जा देने की अनुशंसा की थी;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त अनुशंसा के विपरीत डूमरी को अनुमंडल बनाया गया, जहाँ से सरिया व बिरनी प्रखण्ड में अधिकांश ग्रामों की दूरी 60 से 80 कि० मी० तक है ;	(क) प्रासंगिक मामले में दिनांक–08.02.2014 को मंत्रिपरिषद के द्वारा डूमरी को अनुमण्डल बनाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। (ख) डूमरी मुख्याय से सरिया मुख्यालय की दुरी लगभग 35 कि०मी० तथा बिरनी मुख्यालय की दूरी लगभग 50 कि०मी० है। ग्रामों की दूरी 60 से 80 कि०मी० हो सकती है।
3.	यदि उपरोक्त तथ्य सत्य है, तो क्या सरकार बगोदर सरिया एवं बिरनी प्रखण्ड को मिलाकर अनुमंडल बनाने का विचार रखती है हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	(क) प्रासंगिक मामले में दिनांक–08.02.2014 को मंत्रिपरिषद के द्वारा डूमरी को अनुमण्डल बनाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की जा चुकी है। (ख) पुनः इस मामले पर कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–1560 दिनांक–19.02.2014 के द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह एवं आयुक्त, हजारीबाग से विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गयी है। इस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रशासनिक इकाईयों के पुर्नगठन के संबंध में गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर प्रशासनिक व्यवहारिकता एवं अन्य वैधानिक बिन्दुओं के परीक्षण हो जाने के उपरांत ही राज्य सरकार के द्वारा इस पर निर्णय लिया जायेगा।

W P-10/c.

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15 / झा०वि०स०–15–06 / 2014 का०– 1883 /राँची, दिनांक– 24/4/2014

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–322, दिनांक 16.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/14.

(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

171

श्री रामदास सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2014 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–18 की उत्तर सामग्री।

प्रश्न		उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के कई जिलों एवं अनुमंडल व्यवहार न्यायालयों तथा अभियोजन निदेशालय में अनेक अभियोजन पदाधिकारी वर्ष 2008 से अब तक पदस्थापित हैं ?	–	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि कार्मिक विभाग के नियमानुसार किसी भी सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों की पदस्थापन की कालावधि जिला, अनुमंडल या निदेशालय में तीन वर्ष ही निर्धारित है ?	–	कार्मिक विभाग द्वारा एतदर्थ नियम नहीं उपलब्ध कराया गया है। ज्ञातव्य है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3918, दिनांक 25.10.1980 में प्रत्येक पद या किसी विशेष स्थान पद पदस्थापन की अवधि साधारणतः 03 (तीन) वर्ष निर्धारित है, लेकिन उक्त अवधि के उपरांत स्थानान्तरण किये जाने की अनिवार्यता नहीं है।
2. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पदाधिकारियों को नियमानुसार स्थानान्तरण का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	–	सामान्यतः वर्ष में दो बार (मई–जून एवं नवम्बर–दिसम्बर) में विचार किये जाने का प्रावधान है। तद्नुसार मई–जून, 2014 में अभियोजन सेवा के सभी स्थानान्तरण योग्य मामलों पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
गृह विभाग

ज्ञापांक – 6 / वि०स०–04 / 05 / 2014–1222 / राँची, दिनांक 02 / 03 / 2014 ई०।

प्रतिलिपि – 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–736, दिनांक 22.02.2014 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.3.14
सरकार के उप सचिव।

श्री बन्ना गुप्ता, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–03.03.2014 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संं–ग–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के 24 जिला उग्रवाद से प्रभावित है एवं झारखण्ड में कुल 451 थाना है, जिसमें से 140 थानों को चिन्हित कर उग्रवाद भत्ता दिया जाता है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। राज्य के 122 थानों को नक्सल प्रभावित थाना घोषित किया गया है। नक्सल प्रभावित थानों में पदस्थापित पुलिस कर्मियों को उनके वेतन के 15 % की दर से दुरूह भत्ता दिया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि उग्रवाद क्षेत्र घोषित होने के बावजूद विधि व्यवस्था को ध्यान में रखकर एक ही क्षेत्रांतर्गत अलग–अलग थानों को उग्रवाद भत्ता नही दिया जाता है ;	नक्सल प्रभावित अधिसूचित थानों में पदस्थापित पुलिस कर्मियों को थानावार ही दुरूह भत्ता दिया जाता है। क्षेत्रवार/जिलावार दुरूह भत्ता देने का प्रावधान नहीं है।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के सभी थाना के पुलिस को उग्रवाद भत्ता देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	राज्य भर के पुराने एवं नवसृजित थानों की समीक्षा कर नक्सल प्रभाव के दृष्टिकोण से थानों का श्रेणीकरण किया जा रहा है। तदोपरांत दुरूह भत्ता दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–10/2014-2012/ राँची, दिनांक–02/03/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.14
सरकार के उप सचिव।

(173)

श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.03.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 का0– 15 का उत्तर सामग्री।

कम सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि श्री नवल किशोर प्रसाद, सेवानिवृत्त आप्त सचिव की नियुक्ति कार्मिक विभाग के पत्रांक 5/नि0–7–01/2011 का0 149 दिनांक 2.8.2011 द्वारा विभागीय जांच समिति कार्यालय, झारखण्ड, रांची में संविदा के आधार पर किया गया था और इन्होंने दिनांक 2.8.2011 को उक्त पद पर योगदान दिया तथा उनकी प्रतिनियुक्ति श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, विभागीय जांच अधिकारी के साथ दिनांक 29.08.2011 को की गई।	विभागीय पत्रांक 149 दिनांक 2.08.11 द्वारा श्री नवल किशोर प्रसाद, सेवानिवृत्त आप्त सचिव की नियुक्ति विभागीय जांच समिति कार्यालय, झारखण्ड, रांची में संविदा के आधार पर की गई । श्री प्रसाद द्वारा दिनांक 3.8.11 को विभाग में योगदान दिया गया परन्तु विभागीय जांच पदाधिकारियों के लिए गठित फोरम के अंर्तगत संबंधित विभागीय जांच पदाधिकारी द्वारा योगदान नहीं देने के कारण दि0 3.8. 11 से प्रारम्भ नहीं हो सका तथा श्री प्रसाद से कोई कार्य नहीं लिया गया। विभागीय जांच पदाधिकारी के योगदान करने के साथ कार्य करने हेतु श्री प्रसाद को संलग्न किया गया तथा उसी तिथि अर्थात 22.11.11 से इनका योगदान स्वीकृत किया गया। और योगदान स्वीकृति की तिथि 22.11.11 से इन्हें मानदेय भुगतान किया गया।
	क्या यह बात सही है कि श्री प्रसाद के दिनांक 02.08.2011 को योगदान देने के बाद इनकी योगदान स्वीकृति दिनांक 22.11.2011 से की गई और भुगतान भी उसी तिथि से किया गया और दिनांक 03.08.2011 से 21.11.2011 तक का वेतन बिना किसी गलती के रोक लिया गया।	श्री प्रसाद द्वारा दिनांक 3.8.11 को विभाग में योगदान दिया गया परन्तु विभागीय जांच पदाधिकारियों के लिए गठित फोरम के अंर्तगत संबंधित विभागीय जांच पदाधिकारी द्वारा योगदान नहीं देने के कारण दि0 3.8. 11 से प्रारम्भ नहीं हो सका तथा श्री प्रसाद से कोई कार्य नहीं लिया गया। विभागीय जांच पदाधिकारी के योगदान करने के साथ कार्य करने हेतु श्री प्रसाद को संलग्न किया गया तथा उसी तिथि अर्थात 22.11.11 से इनका योगदान स्वीकृत किया गया। और योगदान स्वीकृति की तिथि 22.11.11 से इन्हें मानदेय भुगतान किया गया।

3.	क्या यह बात सही है कि कार्मिक विभाग के पत्रांक 5/नि0–7–01/2011 का0 248 दिनांक 7.9.2012 द्वारा श्री प्रसाद का अवधि विस्तार न कर बिना आवेदन आमंत्रित किये आदेश निर्गत की तिथि से अर्थात सितम्बर 12 से संविदा पर पुनः नियुक्त कर पदस्थापित किया गया जबकि विभागीय जांच पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 150 दिनांक 18.8.12 द्वारा अपने साथ कार्यरत रहने की बात कही तथा पत्रांक 158 दिनांक 24.08.12 तथा पत्रांक 197 दिनांक 20.08.2012 द्वारा उनकी अनुपस्थिति विवरणी भी भेजी है, इसके बावजूद इन्हें दिनांक 1.08.2012 से 06.09.12 तक का वेतन भुगतान नहीं किया गया।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। विभागीय पत्रांक 149 दि. 2.8.11 के द्वारा श्री प्रसाद को आदेश निर्गत की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया जिसकी अवधि 1.08.2012 को समाप्त हो गई। श्री प्रसाद के संविदा पर नियुक्ति की अवधि विस्तार करने संबंधित अनुशंसा उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त हो सकी। फलतः समयावधि पार होने के कारण अवधि विस्तार नही हो सका। किन्तु विभागीय जांच पदाधिकारी द्वारा श्री प्रसाद के कार्यकलाप संबंधी अनुशंसा को देखते हुए विभागीय पत्रांक 248 दिनांक 07.9.12 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से आगामी एक वर्ष के लिए पुनः संविदा पर नियुक्त किया गया। चूँकि दिनांक 01.8.12 को श्री प्रसाद की संविदा अवधि समाप्त हो चुकी थी तथा श्री प्रसाद दिनांक 2.8.12 से दिनांक 6.09.12 तक संविदा पर कार्य करने हेतु अधिकृत नहीं थे अतः नियमानुसार उक्त अवधि का भुगतान नहीं किया जा सकता था।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त अवधि का वेतन भुगतान करने का विचार रखती है,हां तो कब तक, नही तो क्यों ?	श्री प्रसाद को संविदा एवं नियत मानदेय पर नियुक्त किया गया था। झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 23 के अनुसार मानदेय राशि का भुगतान किसी विशेष कार्य के लिए पारिश्रमिक के रूप में किया जाता है। श्री प्रसाद दिनांक 2.8.12 से दिनांक 6.09.12 तक संविदा पर कार्य करने हेतु अधिकृत नहीं थे अतः नियमानुसार अनधिकृत कार्य हेतु उक्त अवधि के मानदेय राशि भुगतान किया जाना नियमसंगत नहीं है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

पत्रांक – 12/वि0स0–19–01/14.....2036...../का0 रांची दिनांक :– 26/2/14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके पत्र सं0 598 दिनांक 20.2.14 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव

(174)

श्री हरिकृष्ण सिंह, स०वि०स०, द्वारा दिनांक – 03.03.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या – टन 09 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत मनिका प्रखण्ड के दुमुहान नदी में अवस्थित प्राचीन शिव मंदिर स्थल का विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु दुसरी किस्त की राशि नहीं दिये जाने से कार्य अधुरा पड़ा हुआ है तथा बरवाडीह प्रखण्ड मुख्यालय स्थित पहाड़ी मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास की आवश्यकता है ;	1.	वस्तुस्थिति यह है कि प्राचीन शिव मंदिर एवं परिसर के पर्यटकीय विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 कुल 10.00 लाख रूपये आवंटित किया गया है। उक्त राशि से I. पी०सी०सी० पथ (800 फीट) II. आर०सी०सी० सीटिंग बेंच एवं शेड III. कुएँ की सफाई का कार्य कराया जा रहा है।
2.	यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दुमुहान स्थित प्राचीन शिव मंदिर की दुसरी किस्त की राशि विमुक्त करने तथा बरवाडीह पहाड़ी मंदिर का सौन्दर्यीकरण करना चाहती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	2.	उपायुक्त से सक्षम स्तर से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की माँग की गई है। प्राक्कलन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई संभव है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक – पर्यटन/वि०स०/19/2014 398 /राँची, दिनांक 28.02.2014 /

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 521/वि०स०, दिनांक 18/02/2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/14

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

175

श्री हेमलाल मुर्मू, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.03.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–09 का उत्तर।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में केन्द्रीय प्रशासनिक आयोग के निर्देश पर राज्य सरकार ने राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के स्वरूप में बदलाव की पहल शुरू की है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। राज्य में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा गठित नियमावली से निदेशित होते हैं।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के करीब 55 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने समय सीमा बीतने के बाद भी अब तक अपनी सम्पत्ति का ब्योरा केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय को नहीं भेजा है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुल चार पदाधिकारियों द्वारा अब तक राज्य सरकार को सम्पत्ति विवरणी उपलब्ध नहीं कराई गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के स्वरूप में बदलाव करने एवं उक्त भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को कंडक्ट रूल्स–1968 के अनुसार सम्पत्ति का ब्योरा समय सीमा के अन्दर नहीं भेजने के लिए दण्डित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	जिन पदाधिकारियों द्वारा नियमानुसार सम्पत्ति विवरणी नहीं दिया गया है, उन्हें लिखित रूप में एक मौका देते हुए सम्पत्ति विवरणी देने का अनुरोध किया जायेगा, तत्पश्चात् भारत सरकार के प्रावधान के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–1/न्या0वि0स0–1102/2014 का०–1886/राँची, दिनांक 24/2/14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उनके ज्ञाप संख्या–350 दिनांक 17.02.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/2/14.

(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

Letters

176

श्रीमती विमला प्रधान, स०वि०स०, द्वारा दिनांक – 03.03.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या – टन 15 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला मुख्यालय से 2 कि०मी० दुर केलाघाघ डैम स्थित है यह अत्यन्त ही रमणीक स्थल है यहाँ पर पर्यटक हमेशा आते रहते हैं ;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि यहाँ पर वोटिंग की सुविधा जिला प्रशासन से की गयी थी परन्तु वोट एवं जेटी पुराना होकर खत्म हो गये है ;	2.	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि **(i)** जिला प्रशासन की ओर से बोटिंग की सुविधा की गई है। **(ii)** 01 (एक) मोटर बोट, 01 (एक) वाटर स्कूटर तथा 06 (छः) पैडल बोट (वर्ष 2006 में क्रय किया गया है) जो वर्त्तमान में चालू हालत में है, और इसका संचालन केलाघाघ विकास समिति के द्वारा किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार केलाघाघ डैम को पर्यटकीय सुविधा देकर विकसित करना चाहती है, जिससे कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके यदि हाँ, तो, कब तक, नही तो क्यों ?	3.	तत्काल यह योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/23/2014 373 /राँची, दिनांक 25.02.2014 /

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 573/वि०स०, दिनांक 19/02/2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/14

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्रीमती विमला प्रधान, माननीय स0वि0स0 द्वारा चलते विधानसभा सत्र में दिनांक– 03.03. 2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–का–11 का उत्तर प्रतिवेदन।

(177)

श्रीमती विमला प्रधान, माननीय स0वि0स0 द्वारा चलते विधानसभा सत्र में दिनांक– 03. 03.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–का–11 का उत्तर निम्नवत अंकित है:–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के जातीय सूची डोम जाति को अनुसूचित जाति में एवं बिरहोर का आदिम जन–जाति में सूचीबद्ध किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला में निवास करने वाले डोम जाति को स्थानीय भाषा में डोमरा कहा जाता है एवं खतियान में भी डोमरा दर्ज है परन्तु राज्य सरकार की सूची में कहीं भी सूचीबद्ध नहीं है उसी तरह मल्लार जाति बिरहोर की उप जाति है उन्हें मल्लाह की तरह O.B.C ii में सूचीबद्ध किया गया है तथा इन दोनों जातियों की आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति अत्यन्त जर्जर है;	स्वीकारात्मक। अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक–09 पर डोम तथा अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक–07 पर बिरहोर जाति का नाम दर्ज है, जबकि मलार (मालहोर) तथा मल्लाह जाति का नाम क्रमशः अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–68 एवं 64 पर दर्ज है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इन जातियों का सामाजिक आर्थिक सर्वे कराकर अनुसूचित जाति का लाभ दिलाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	राज्य की जातियों का नाम अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की शक्ति भारत सरकार में निहित है। राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु पदाधिकारियों दिए गए अनुदेश परिपत्र सं0–3540 दिनांक–03.07. 2004 के आलोक में स्थानीय जाँच के आधार पर सम्बन्धित व्यक्ति को उसकी जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–10/2014 का0–2085/रांची, दिनांक 28 फरवरी,2014

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–571 वि0स0 दिनांक–19.02.2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/14

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

II (178)

माननीय स०वि०स० श्री विदेश सिंह द्वारा दिनांक 03.03.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–13 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला का पांकी प्रखण्ड की आबादी अत्याधिक है, जिससे प्रशासनिक दृष्टिकोण से आम जनता को असुविधा होती है;	इन्टरनेट से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्त्तमान में पांकी प्रखण्ड की कुल आबादी 1,58,329 है।
2.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला का पांकी प्रखण्ड अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार पांकी को अनुमण्डल का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	पांकी को नया अनुमण्डल का दर्जा देने के संबंध में संबंधित उपायुक्त एवं प्रमण्डलीय आयुक्त से प्रतिवेदन प्राप्त है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति की अगली बैठक में इस मामले को रखे जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। बैठक की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् इस संबंध में सरकार द्वारा यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–13/2014 का०–1702/राँची, दिनांक– 21/02/2014

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–569, दिनांक 19.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/14.

(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

180

श्री संजय कुमार सिंह यादव, स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2014 को सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या वि०– 01, का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमण्डल में उप कोषागर की स्थापना नहीं किया गया है।	स्वीकारात्मक है।
(2.) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित उप कोषागार के स्थापना हुसैनाबाद अनुमण्डल में नहीं होने से काफी परेशानी हो रही है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
(3.) यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमण्डल मुख्यालय में उप कोषागर की स्वीकृति प्रदान करते हुए अविलम्ब स्थापना करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों?	हुसैनाबाद अनुमण्डल में उप कोषागार की स्थापना के लिए आधारभूत संरचना के संबंध में उपायुक्त, पलामू से प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। इस बीच राज्य सरकार के द्वारा संकल्प संख्या 3245 दिनांक 26.11.2013 के माध्यम से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की संख्या घटा दी गयी है। कोषागार संहिता में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। कोषागारों का पुनर्गठन का समेकित निर्णय लिया जायेगा। वर्त्तमान में कम्प्यूटरीकरण तथा विभागीय परिपत्र के क्रम में कार्य काफी घट गया है।

झारखंड सरकार
वित्त विभाग

ज्ञापांक : वित्त–10/वि०स०(4)–06/2014 719/वि० राँची, दिनांक 28.02.2014

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक 365 वि•स•, दिनांक 17.02.2014 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद चन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

181

श्री लक्ष्मण गिलुवा, स०वि०स०, द्वारा दिनांक – 03.03.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या – टन 03 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि प० सिंहभूम जिला के बंदगाँव प्रखण्ड अन्तर्गत हिरणी जल प्रपात पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है ;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते रहते है ;	2.	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधा का घोर अभाव है। जिससे पर्यटकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	3.	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि i. हिरणी जलप्रपात के समीप हेसाडीह में "आराम" (विश्राम गृह) तैयार किया गया है। ii. पर्यटन स्थल पर पार्किंग की सुविधा है। बैठने की व्यवस्था है। iii. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में हिरणी जलप्रपात में "पर्यटक सुविधा केन्द्र" का निर्माण कराया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है तथा इसे मार्च 2014 तक पूर्ण करना है।
4.	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मूलभूत सुविधा की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	यथा उपर्युक्त कंडिका 1 से 3 में उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन / वि०स० / 11 / 2014 372 / राँची, दिनांक 25.02.2014 /

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 324 / वि०स०, दिनांक 16 / 02 / 2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/14

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

(182)

श्री समरेश सिंह, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–03.03.2014 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–13 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि अल्केमिस्ट इन्फ्रा रियलटी लि० द्वारा 1000 (एक हजार) करोड़ की चिटफंड घोटाले किये गये है, जिसपर माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया था, जिसका एल०पी०ए० सं०–175/13 तथा 176/13 है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के दो जिलों देवघर एवं कोडरमा में अलकेमिस्ट इन्फ्रा रियालिटि लि० के विरूद्ध चिटफंड घोटाले से संबंधित मामला दर्ज है। 1. देवघर थाना कांड संख्या–543/13, दिनांक–06.09.2013 धारा 420/426/ 465/120(बी०) भा०द०वि०, 58 (बी०) आर०बी०आई०, एक्ट, 15 (एच०ए०)/15(एच०बी०) सेबी एक्ट 59 कम्पनी एक्ट, 8/10 भ्रष्टाचार अधिनियम एक्ट, सेक्सन–04 प्रिवेन्सन ऑफ मनी लाउंड्रींग एक्ट एवं 4 Prize Chits & Money Circulation Schemes (Banning) Act. 1978 एवं 2. तिलैया थाना कांड सं०–69/13, दिनांक–25.03.2013 धारा–419/420/467/468/409, भा०द०वि० दर्ज किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा झारखण्ड के पुलिस महानिदेशक को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया था कि उक्त कंपनी के निदेशकों का नाम और पता क्या है तथा जांच किस स्थिति में है ;	अलकेमिस्ट इन्फ्रा रियलिटि लि० के प्रबंध निदेशक/प्रोमोटर/बोर्ड ऑफ डायरेक्टर/प्रबंधक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है। इस कम्पनी के प्रोमोटर 1. बलबीर सिंह 2. बृजमोहन महाजन 3. सुनील कांतिकार प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। उक्त कम्पनी में अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर बारह करोड़ तैतालीस लाख दो हजार रूपये में से पंजाब नेशनल बैंक, देवघर शाखा का खाता सं०–4109002100004609 में से दो लाख बीस हजार पाँच सौ अठ्ठारह रूपये फ्रीज किया गया है। सम्प्रति यह कांड अनुसंधानान्तर्गत है।
3	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार के एडवोकेट जेनरल द्वारा यह मामला वापस ले लिया गया है ;	झारखण्ड सरकार के एडवोकेट जेनरल द्वारा यह मामला वापस नहीं लिया गया था, बल्कि अपीलकर्त्ता द्वारा अपील वापस लेने के कारण न्यायालय द्वारा अपील खारिज कर दिया गया।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड में चिटफंड के माध्यम से हुए इतने बृहत घोटाले पर सी०बी०आई० जांच कराना चाहती है का विचार रखती, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	सम्प्रति यह कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक-9/फा०२०(10)-02/2014 1227 राँची, दिनांक–02/03/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 2.3.14
सरकार के उप सचिव।

श्री अरूप चटर्जी, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–03.03.2014 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–15 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में गृह रक्षा वाहनियों द्वारा डियूटी सुनिश्चित करने, उम्र सीमा 60 वर्ष करने, विभगीय आदेश प्रति वर्ष वर्दी के लिए 3000/– रूपया देय होने के उपरान्त भी 1000/– रूपया दिया जाना तथा बीमारी एवं दुर्घटना से मरने वाले गृह रक्षकों के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने व मुआवजा राशि वृद्धि हेतु लगातार आंदोलन किया जा रहा है, परन्तु यह मांग आज दिनांक–14.02.2014 तक लंबित है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है। गृह रक्षक का डियूटी सुनिश्चित करने हेतु रोस्टर प्रणाली से डियूटी देने हेतु स्थायी आदेश निर्गत है। उम्र सीमा 60 वर्ष करने के संबंध में किसी भी तरह का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही है। वर्दी भत्ता, नामांकन/पुनः नामांकन वर्ष में 2000/– (दो हजार मात्र) तथा नामांकन/पुनःनामांकन के तीसरे वर्ष में 1000/–(एक हजार) देने का प्रावधान है। डियूटी के दौरान बिमारी/दुर्घटना में मरने वाले आश्रित को नियमानुसार अनुग्रह अनुदान की राशि सरकारी नियमानुसार वर्त्तमान में 2,00000/– (दो लाख रूपया) देने का प्रावधान है। गृह रक्षक के आश्रित को सरकारी नौकरी देने का कोई सरकारी नियम/प्रावधान नही है फिर भी मानवता के आधार पर उनके आश्रित को यदि गृह रक्षक के रूप में नामांकन करने का अर्हता रखते हो तो गृह रक्षक में नामांकन करने का आदेश दिया गया है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब गृह रक्षा वाहिनी के उक्त मांगो पर पुनर्विचार की मंशा रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–7/वि०स०–49/2014 1223 / राँची, दिनांक–02/03/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.3.14
सरकार के उप सचिव।

(184)

श्री जय प्रकाश सिंह भोक्ता, स०वि०स०, द्वारा दिनांक – 03.03.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या – टन 08 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत गिद्धौर, पत्थलगड्डा, सिमरिया एवं टण्डवा प्रखंडों में क्रमशः बलबल गरम कुण्ड, लेम्बोइया माँ मंदिर, भवानी मंदिर एवं चुनरू सूर्य मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं की गई है ;	1.	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि **(क)** गिद्धौर प्रखण्ड में बलबल गर्म कुण्ड में 03 (तीन) चापाकल, 02 (दो) यात्री विश्राम गृह, 1 (एक) विवाह मंडप, 01 (एक) महिला स्नानागार एवं शौचालय उपलब्ध है। **(ख)** पत्थलगड्डा प्रखण्ड में लेम्बोईया मंदिर परिसर में यात्रियों एवं श्रद्धालुओं के लिए विवाह मंडप, छोटा धर्मशाला, 03 (तीन) चापाकल एवं चबूतरा भी है। मंदिर पहाड़ी तक पहुँचने के लिए पक्की सड़क भी है। **(ग)** सिमरिया प्रखण्ड अन्तर्गत भवानी मंदिर में 01 (एक) चापाकल, 02 (दो) कमरा, 01 (एक) पक्का यज्ञ मंडप एवं 01 (एक) नवनिर्मित यज्ञ मंडप है। **(घ)** टण्डवा प्रखण्ड अन्तर्गत चुनरू सूर्य मंदिर के अन्दर चहारदीवारी बनी है। चार भवन भी अवस्थित है, जिनमें सात कमरे, एक शादी घर और तीन भवन में बारह कमरे अवस्थित है। इन स्थल पर उपलब्ध सुविधाएँ पर्याप्त है।
2.	यदि उपरोक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन पर्यटन स्थलों को पर्यटन स्थल घोषित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	2.	पर्यटन विभाग किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित नहीं करता है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/16/2014 397 /राँची, दिनांक 28.02.2014 /

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 362/वि०स०, दिनांक 17/02/2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/14

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री विद्युत वरण महतो, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–03.03.2014 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–16 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला का ग्राम–मानस मुड़िया उग्रवाद प्रभावित तथा सुदूर क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि ग्राम–मानस मुड़िया बोड़शोल थाना क्षेत्र के अधीन है तथा गांव से थाना की दूरी 25 कि०मी० है, जिसके कारण उक्त गांव के लोगों को पुलिस सुरक्षा समय पर नहीं मिल पाता है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में ग्राम–मानस मुड़िया में पुलिस स्टेशन स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	ग्राम मानस मुड़िया में ओ०पी० सृजन का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार स्तर से निर्णय लिया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–15 / 2014-2005 / राँची, दिनांक–02/03/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5-3-14
सरकार के उप सचिव।

190

श्री जनार्दन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2014 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–17 की उत्तर सामग्री।

	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड पुलिस के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को राशन मनी देने का प्रावधान आज तक नहीं बना है।	–	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त C.R.P.F. के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी तथा बिहार के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को राशन मनी के रूप में क्रमशः 2,000/– रूपये की राशि दी जाती है।	–	केन्द्र सरकार एवं बिहार राज्य के पत्रानुसार C.R.P.F. के चतुर्थवर्गीय कर्मियों तथा बिहार राज्य के अराजपत्रित पुलिसकर्मियों को क्रमशः रू० 861/– एवं रू० 1000/– प्रति माह की दर से राशन मनी भत्ता भुगतान किया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड पुलिस के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी भी पुलिस की तरह ही कार्य करते हैं, फिर भी इन्हें राशन मनी से वंचित रखा गया है।	–	राज्य के पुलिसकर्मियों को रू० 1000/– प्रति माह की दर से राशन मनी भत्ता प्रदान किया जाता है। चतुर्थवर्गीय पुलिसकर्मियों को राशन मनी भत्ता प्रदान करने का प्रस्ताव सम्प्रति राज्य सरकार के विचाराधीन है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को भी केन्द्र एवं बिहार के तर्ज पर राशन मनी प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	–	उपर्युक्त कंडिका–3 में वस्तु–स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह विभाग

ज्ञापांक – 16/वि०स०–16/2014–2002/ राँची, दिनांक 02/03/2014 ई०।

प्रतिलिपि – 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–568, दिनांक 19.02.2014 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.3.14
सरकार के उप सचिव।

(191)

श्री संजय कुमार सिंह यादव, स०वि०स०, द्वारा दिनांक – 03.03.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या – टन 07 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल मुख्यालय स्थितपंच सरोवर तालाब का सौन्दर्यीकरण व्यापक पैमाने पर नहीं किया गया है ;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्णित पंच सरोवर तालाब में नौका विहार के लिए मोटर वोट की भी व्यवस्था नहीं है ;	2.	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल मुख्यालय स्थित पंच सरोवर तालाब का सौन्दर्यीकरण कराते हुए उसमें नौका विहार के लिए मोटर वोट की व्यवस्था करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	पर्यटन विभाग द्वारा नौका की फिटनेस एवं नौका विहार करने वालों की सुरक्षा एवं व्यवस्था बहाल करने के संबंध में मांगा गया प्रतिवेदन उपायुक्त, पलामू से प्राप्त नहीं हो सका है। अतः तत्काल यह योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/15/2014 395 /राँची, दिनांक 28.02.2014 /

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 364/वि०स०, दिनांक 17/02/2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/14

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

(192)

माननीय स०वि०स० श्री दुलू महतो द्वारा दिनांक 03.03.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–18 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है धनबाद जिला के सदर अनुमंडल के अलावा कोई अन्य अनुमंडल नहीं है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि एक मात्र अनुमंडल होने के कारण अतिरिक्त कार्य का बोझ है और सुदूर क्षेत्र के लोगों को इससे भारी परेशानी होती है;	स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि बहुप्रतिक्षित बाघमारा (कतरास) को अनुमंडल बनाने का प्रस्ताव था किन्तु कैबिनेट द्वारा इसका अनुमोदन नहीं किया गया;	कतरास को नया अनुमण्डल का दर्जा देने के संबंध में उपायुक्त, धनबाद से प्रतिवेदन प्राप्त है। संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त से विहित प्रपत्र में वांछित प्रस्ताव/प्रतिवेदन की मांग की गयी है, जो अबतक प्रतीक्षित है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रशासनिक इकाईयों के पुनर्गठन/सृजन हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक में इस मामले को रखने पर विचार किया जायेगा। समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् इस पर मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु कार्रवाई की जायेगी।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बाघमारा (कतरास) को अनुमंडल बनाने का विचार रखती है हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–21/2014 का०– 2078/राँची, दिनांक– 28/2/14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–861, दिनांक 24.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/14

(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

193

माननीय स०वि०स० श्री संजय प्रसाद यादव द्वारा दिनांक 03.03.2014 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं॰ 14 के संबंध में।

क्र॰सं॰	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग मे पदस्थापित उप सचिव श्री प्रमोद कुमार तिवारी, पूर्व में वित्त विभाग, राँची के अधीन भविष्य निधि निदेशालय में सहायक निदेशक के पद पर भी पदस्थापित थे।	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उप निदेशक, भविष्य निधि के रूप में पदस्थापन काल में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण सूचना आयोग द्वारा उनपर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया था।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि श्री प्रमोद कुमार तिवारी, भविष्य निधि निदेशालय में सहायक निदेशक के पद पर पदस्थापित थे। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उनके विरूद्ध रूपये 20,000/– का जुर्माना लगाया गया था।
3	क्या यह बात सही है कि उन्होंने आज तक उसका भुगतान नहीं किया है, इसकी प्रविष्टि भी उनकी सेवापुस्ति में दर्ज है।	श्री तिवारी स॰नि॰ द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष पुर्नविचार याचिका दायर की गयी थी, जो उस समय लंबित था, अगर वांछित राशि की कटौती कर ली जाती तो Review Petition Infructuous हो जाता, जिस कारण वित्त विभाग द्वारा राशि के वसूली पर स्थगन आदेश दिया गया। राजपत्रित पदाधिकारियों का सेवा अभिलेख महालेखाकार कार्यालय मे संधारित होता है। मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश में इस आशय की प्रविष्टि सेवापुस्त में करने का उल्लेख भी नहीं है।

4,	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उनके वेतन से उक्त राशि की वसूली करते हुए उनपर विभागीय कार्रवाई चालू करने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मुख्य सूचना आयुक्त, राँची द्वारा पारित आदेश जो ज्ञापांक–10308 दिनांक 06.12.2013 द्वारा संसूचित है के आलोक मे प्रस्तुत मामला माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के समक्ष विचाराधीन है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

ज्ञापांक : 10/वि॰स॰(4)–10/2014 41/वि॰/वि॰ राँची, दिनाक : 28/02/2014

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप संख्या–599/वि॰स॰ दिनांक 20/02/14 के आलोक मे उत्तर सामग्री 200 प्रतियों में संलग्न एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.02.14

(अविनाश कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव, वित्त
विभाग, झारखण्ड, राँची।

(194)

श्री मिस्त्री सोरेन, स०वि०स०, द्वारा दिनांक – 03.03.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या – टन 18 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि जिला पाकुड़ के प्रखण्ड पाकुड़िया के सिदपुर गरम झरना पाकुड़ जिला से पर्यटक स्थल की सूची में है ;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सिदपुर गरम झरना में पर्यटक स्थल की सूचीबद्ध होने के बावजूद उसमें पर्यटन विभाग द्वारा आज तक पर्यटन विकास हेतु एक भी कार्य नहीं किया गया है ;	2. एवं 3.	वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपायुक्त, पाकुड़ से प्राप्त प्रस्ताव एवं प्राक्कलन के आधार पर **स्वीकृत्यादेश संख्या 68, दिनांक 21.02.2014** द्वारा कुल राशि 19,62,200.00 रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है एवं आवंटन देने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सिदपुर गरम झरना में पर्यटन विकास हेतु कार्य करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/27/2014 383 /राँची, दिनांक 26.02.2014 /

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 830/वि०स०, दिनांक 23/02/2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/14

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

(195)

श्री सत्यानंद झा (बाटुल), माननीय स0वि0स0 द्वारा चलते विधानसभा सत्र में दिनांक– 03.03.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–का–12 का उत्तर प्रतिवेदन।

श्री सत्यानंद झा (बाटुल), माननीय स0वि0स0 द्वारा चलते विधानसभा सत्र में दिनांक–03.03.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–का–12 का उत्तर निम्नवत अंकित हैः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य की सूड़ी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने हेतु विगत बीस वर्षों से मांग की जाती रही है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि प0 बंगाल सहित अन्य कई राज्यों के सूड़ी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाता है।	स्वीकारात्मकः पं0 बंगाल की अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 57 पर सूड़ी (साहा को छोड़कर) अंकित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड में निवास करने वाले सूड़ी जाति को चालू वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ, तो बक तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य में सूड़ी जाति पिछड़ा वर्ग की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–20 पर बनिया वर्ग में दर्ज है। सम्प्रति उक्त जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–11 / 2014 का0–2145 / रांची, दिनांक 28 फरवरी,2014

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–570 वि0स0 दिनांक–19.02.2014 के प्रसंग में 200(दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

196

श्री विद्युत वरण महतो, स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.03.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या टन–12 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के चाकुलिया प्रखण्डान्तर्गत गोटाशिला का पहाड़ी बाबा मंदिर तथा कन्हाईशोल मंदिर एवं बहरागोड़ा का चित्रेश्वर शिवमंदिर अत्यंत प्राचीन मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में राज्य तथा राज्य से बाहर के श्रद्धालु आते है एवं पूजा अर्चना करते है ;	1.	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि I. चाकुलिया प्रखण्डान्तर्गत गोटाशिला का पहाड़ी बाबा मंदिर में प्रतिवर्ष 25000–30000 (पचीस से तीस हजार) पर्यटक आते है। II. कन्हाईशोल मंदिर में प्रतिवर्ष लगभग 20000 (बीस हजार) पर्यटक आते है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त तीनों ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया जा सका है, जिसके कारण पर्यटकों को आवागमन पेयजल एवं अन्य प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	2.	आंशिक स्वीकारात्मक। I. बहरागोड़ा प्रखण्ड के चित्रेश्वरधाम शिव मंदिर के पर्यटकीय विकास हेतु कुल 25,79,169.00 रूपये आवंटित है जिससे पाथवे, गेट –01, शेल्टर –03, टायलेट –01 एवं चार शेड का निर्माण किया जाना है। II. चाकुलिया प्रखण्डान्तर्गत गोटाशीला पहाड़ी बाबा मंदिर परिसर में एक चापाकल है। यहाँ बंगाल की सीमा पार कर पहुँचा जा सकता है। III. कन्हाईशोल मंदिर परिसर में एक रिंग कुँआ है। यहाँ बंगाल की सीमा पार कर पहुँचा जा सकता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है तो क्या सरकार ऐतिहासिक धरोहर के रूप में अवस्थित स्थानों को पर्यटन के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के समृद्ध करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	पहुँच पथ बंगाल की सीमा पार कर पहुँचा जा सकता है। अतः तत्काल यह योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/17/2014 413 /राँची, दिनांक 28/02/14 /

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 524/वि०स०, दिनांक 18/02/2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/14

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

197

श्री हेमलाल मुर्मू, स0वि0स0 द्वारा 03.03.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–08 का उत्तर।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार के विभिन्न विभागों में समय से पूर्व या सामान्य स्थापना में कार्मिकों के तबादला होने के कारण कुछ रिक्त पदों के स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन नहीं होने के कारण विभागीय कार्य प्रभावित होता है, पदस्थापना के प्रतीक्षा में सम्बन्धित पदाधिकारियों को बिना काम का वेतन भुगतान करना पड़ता है और तबादला भत्ता प्रदान करने के कारण सरकार पर राजस्व का अतिरिक्त बोझ पड़ता है;	वस्तुस्थिति यह है कि पदाधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के फलस्वरूप रिक्त पदों को शीघ्र नये पदस्थापन से अथवा अतिरिक्त प्रभार देकर भरने की कार्रवाई की जाती है। पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहने वाले पदाधिकारियों को भी शीघ्र पदस्थापित करने की कार्रवाई की जाती है। स्थानान्तरण/पदस्थापन राज्य के प्रशासनिक कार्यों के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक भी है।
2	क्या यह बात सही है कि फरवरी, 2014 में राज्य के 14 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया गया परन्तु कई रिक्त पद पर किसी अन्य समकक्ष पदाधिकारियों का पदस्थापन नहीं किया गया;	वस्तुस्थिति यह है कि फरवरी, 2014 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिन पदाधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है, उन सभी का पदस्थापन कर दिया गया है। सभी प्रमण्डल में प्रमण्डलीय आयुक्त तथा सभी जिलों में उपायुक्त पदस्थापित हैं। प्रशासकीय ढाँचा के जिन पदों पर पदस्थापन नहीं किया जा सका है, वहाँ अतिरिक्त प्रभार दिया गया है/देने की कार्रवाई की जा रही है। सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के उपलब्ध संसाधन का आवश्यकतानुरूप एवं अधिकतम सदुपयोग करने के लिए कृत संकल्प है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्थानान्तरण नीति बनाने, रिक्त पदों को शीघ्र भरने तथा इससे राजस्व के अतिरिक्त बोझ को रोकने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 एवं 2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–1/न्या0वि0स0–1103/2014 का.–1695/राँची, दिनांक 21/2/2014

. प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उनके ज्ञाप संख्या–349 दिनांक 17.02.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुमन कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

Letters

(198)

श्री अरविन्द कुमार सिंह, स०वि०स०, द्वारा दिनांक – 03.03.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या – टन 10 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि चांडिल अनुमंडलान्तर्गत चांडिल डैम में 50 एकड़ ज़मीन पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 2004–2005 में चिन्हित किया गया है ;	1.	वस्तुस्थिति यह है कि चांडिल डैम की 50 एकड़ जमीन सिंचाई विभाग के अधीन है। उपायुक्त द्वारा सूचित किया गया है कि इसे चिन्हित करने से संबंधित कोई सूचना जिला कार्यालय को नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त जगह पर नौका विहार, वाटर स्पोर्ट, निक्को पार्क, झूला रिर्सोट बनाने से ग्रामीण को रोजगार एवं सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी ;	2.	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नौका विहार, वाटर स्पोर्ट, निक्को पार्क, झूला का निर्माण वित्तीय वर्ष 2014–15 में निधि उपलब्ध करातें हुए विकास कार्य कराने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 5 पी०एन०सी०(129)/2011, दिनांक–09.08.2012 के द्वारा राँची– सराईकेला–खरसाँवा–पूर्वी सिंहभूम मेगा सर्किट योजना स्वीकृत की गयी है। यह योजना भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आई०टी०डी०सी०) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें चाण्डिल डैम का 317.17 लाख रूपये की लागत से पर्यटकीय विकास किया जाना है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक – पर्यटन/वि०स०/18/2014 371 /राँची, दिनांक 25.02.2014 /

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 522/वि०स०, दिनांक 18/02/2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/14

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री पौलुस सुरीन, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–03.03.2014 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–20 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि महाबुआंग, प्रखण्ड–बानो, जिला–सिमडेगा में वर्ष–2012 में ग्रामिणों द्वारा पुलिस पिकेट निर्माण हेतु मांग की गयी थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि महाबुआंग में पुलिस पिकेट न कराकर रवई ग्राम में कराया जा रहा है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। रेबई में थाना का निर्माण कराया जाना है ना कि पुलिस पिकेट का।
3	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण जनता रवई में पुलिस पिकेट निर्माण का विरोध कर रहे है क्योकि रवई ग्राम में पहले से स्वास्थ्य उपकेन्द्र, सामुदायिक भवन एवं डाकघर के लिए जमीन प्रस्तावित है, पुलिस पिकेट निर्माण होने से उक्त योजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध नही हो पाएगी ;	अस्वीकारात्मक। पुलिस थाना के अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्र, सामुदायिक भवन एवं डाकघर के लिए जमीन उपलब्ध है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रस्तावित पुलिस पिकेट रवई ग्राम से हटाते हुए ग्राम महाबुआंग प्रखण्ड बानों में पुलिस पिकेट का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	प्रखण्ड बानो में महाबुआंग थाना पूर्व से ही अधिसूचित है। इसके निर्माण हेतु ग्राम रेवई में आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल के ज्ञापांक 18, दिनांक–18.05.2013 द्वारा निःशुल्क भूमि हस्तान्तरण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। चुँकि महाबुआंग में थाना अधिसूचित है और ग्राम रेवई तथा महाबुआंग की दूरी एक किलोमीटर के अन्तर्गत है। इसलिए महाबुआंग में पुलिस पिकेट की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–16 / 2014 2018 / राँची, दिनांक–02 / 03 / 2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.3.14
सरकार के उप सचिव।

200

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.03.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ग–12 का प्रश्नोत्तर –

	प्रश्न		उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि अभियोजन निदेशालय गठन के पश्चात् वर्ष–2010 में जरनल किताब की क्रय M.R.P. अधिकतम खुदरा मूल्य 25 लाख रूपये राशि से की गई थी?		अस्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि वर्ष 2010 में लॉ जर्नल (Law Journal) का क्रय नहीं किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित किताब पर खुले बाजार में अधिकतम खुदरा मूल्य (एम0आर0पी0) पर 30% की छुट दी जाती है?		कंडिका–1 के उत्तर के आलोक में अस्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड (ii) में वर्णित छुट की राशि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा गबन कर ली गई है?		कंडिका 1 के उत्तर के आलोक में अस्वीकारात्मक है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त मामले की उच्च स्तरीय जॉच कराकर दोषी पदाधिकारियों पर विधि सममत कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों?		कंडिका 1 के उत्तर के आलोक में जॉच की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–06 / वि0स0–04 / 03 / 2014–1224 / राँची, दिनांक 02 / 03 / 2014 ई0.

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा के ज्ञापांक– 468, दि0 18.02.2014 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.3.14
(शेखर जमुआर)
सरकार के उप सचिव।

श्रीमती मेनका सरदार, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–03.03.2014 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–19 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका प्रखण्ड स्थित कोवाली नया थाना एक वर्ष से हलदीपोखर उप स्वास्थ्य केन्द्र में संचालित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित थाना को सुचारू रूप से संचालन हेतु नव निर्मित भवन कोवाली में हस्तांतरित नही किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोवाली थाना को नव निर्मित भवन कोवाली में हस्तांतरित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची द्वारा कोवाली थाना का नवनिर्मित भवन पुलिस विभाग को हस्तान्तरित किया गया है। नवनिर्मित भवन में कोवाली थाना को यथाशीघ्र (एक सप्ताह) स्थानान्तरित कर दिया जायगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–18 / 2014 2003 / राँची, दिनांक–02 /03/ 2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Samuel 2.3.14
सरकार के उप सचिव।

(202)

श्री सौरभ नारायण सिंह, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–03.03.2014 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–07 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में पदस्थापित झारखण्ड पुलिस कर्मियों का वेतन एवं ग्रेड पे विसंगति है ;	अस्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में पदस्थापित +2 योग्यता धारक पुलिस कर्मियों को 2000 से 2400 ग्रेड पे दिया जाता है जबकि बिहार में पदस्थापित +2 योग्यता धारक पुलिस कर्मियों को 2400 से 2800 दिया जाता है ;	झारखण्ड राज्य में पुलिस के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सप्तम उत्तीर्ण निर्धारित है। किन्तु मैट्रिक उत्तीर्ण तथा उच्च योग्यताधारी की भी नियुक्ति पुलिस के पद पर की जाती है। जो पुलिस मैट्रिक पास एवं उच्चतर योग्यताधारी होते हैं, उनकी अगली प्रोन्नति स०अ०नि० के पद पर होता है तथा जो पुलिस मैट्रिक पास नहीं होते हैं, उनकी प्रोन्नति हवलदार के पद पर होती है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या–5207, दिनांक–14.08.2002 के अनुसार मैट्रिक पास एवं उच्च योग्यताधारी पुलिस को प्रथम ए०सी०पी० योजना के तहत उक्त प्रोन्नति के पद का लाभ ग्रेड पे–2800 में तथा मैट्रिक अनुत्तीर्ण पुलिस को ग्रेड पे–2400 में स्वीकृत किया जाता है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या–2981, दिनांक–01.09.2009 के द्वरा राज्यकर्मियों के लिए लागू एम०ए०सी०पी० योजना के तहत प्रोन्नति के पद सोपान के ठीक अगले ग्रेड पे में वित्तीय उत्क्रमण देने का प्रावधान किया गया है। फलस्वरूप मैट्रिक पास एवं इसके उच्च योग्यताधारी तथा मैट्रिक अनुत्तीर्ण दोनो ही प्रकार के पुलिस (ग्रेड पे–2000) को प्रथम एम०ए०सी०पी० योजना का लाभ 2400 ग्रेड पे में स्वीकृत किया जाता है। बिहार राज्य में लागू प्रावधान की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। झारखण्ड राज्य में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को इस राज्य में लागू प्रावधान के अनुरूप ग्रेड वेतन तथा ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ स्वीकृत किया जाता है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड में पदस्थापित +2 योग्यता धारक पुलिस कर्मियों का वेतन एवं ग्रेड–पे के विसंगति को दूर करना चाहती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खंडों में उत्तर के आलोक में इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–1/2014-2008/ राँची, दिनांक–02/03/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.3.14
सरकार के उप सचिव।

203

श्री लक्ष्मण गिलुवा, स०वि०स०, द्वारा दिनांक – 03.03.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या – टन 04 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि प० सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधपुर प्रखण्ड में माँ केरा मंदिर अवस्थित है तथा हजारों की संख्या में पूर्जा अर्चना के लिए श्रद्धालु आतें है ;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर पर्यटन हेतु वांछित सुविधा सौन्दर्यीकरण एवं विश्राम गृह नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं को कठिनाई हो रही है ;	2. एवं 3	वस्तुस्थिति यह है कि पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग के माध्यम से प्रश्नाधीन स्थल के विकास हेतु 25.00 लाख रूपये उपायुक्त, प० सिंहभूम को आवंटित किया गया था। उपायुक्त, प० सिंहभूम के प्रतिवेदन के अनुसार चबूतरा, यात्री शेड, सीढ़ी, स्नान घाट एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण किया गया है। पूजा स्थल का निर्माण पर्यटन विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है। उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए तत्काल यह योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।
3.	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्रद्धालुओं के लिए विश्राम गृह एवं पूजा स्थल का निर्माण कराना चाहती है यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/12/2014 370 /राँची, दिनांक 25.02.2014 /

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 325/वि०स०, दिनांक 16/02/2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

204

श्री बन्ना गुप्ता, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–03.03.2014 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में थानों को उत्क्रमित कर थानों में विधि व्यवस्था एवं अनुसंधान को अलग–अलग किया जाना है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के थानों में विधि व्यवस्था एवं अनुसंधान विभाग को अलग करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत राज्य पुलिस में विधि व्यवस्था एवं अनुसंधान कार्य हेतु कार्य तथा बल का विभाजन करने का निर्णय लिया गया है। प्रारम्भिक चरण में राज्य के पाँच जिलों के शहरी थानों को पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी के रूप में उत्क्रमित करते हुए इन थानों में विधि व्यवस्था एवं अनुसंधान हेतु अलग–अलग बल का प्रावधान करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–12 / 2014 2004 / राँची, दिनांक–02 /03/ 2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.3.14
सरकार के उप सचिव।

श्री अरविन्द कुमार सिंह, स०वि०स०, द्वारा दिनांक – 03.03.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० – टन 14 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावॉ जिलान्तर्गत चाण्डिल अनुमंडल के पलना डैम एवं दालमा पर्यटन स्थल की स्थिति अच्छी नहीं होने से पर्यटकों के आगमन में काफी कमी आई है ;	1.	वस्तुस्थिति यह है कि चांडिल अनुमंडल अन्तर्गत पलना डैम सिंचाई विभाग के एवं दलमा पर्यटन स्थल वन विभाग के नियंत्रणाधीन है। अतएव उपायुक्त द्वारा पर्यटकों के आगमन से संबंधित सूचना जिला कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने की बात कही गयी है।
2.	क्या यह बात सही है कि पलना डैम की सौन्दर्यीकरण नौका विहार एवं दालमा में पर्यटक निवास रिर्सोट विकसित होने पर ग्रामीणों को रोजगार एवं सरकार को राजस्व प्राप्ति से वंचित रहना पड़ता है ;	2.	पलना डैम के सौन्दर्यीकरण, नौका विहार एवं दलमा में पर्यटक निवास रिर्सोट विकसित होने पर स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार एवं सरकार को बिक्री कर एवं अन्य करों से राजस्व की प्राप्ति होगी।
3.	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपरोक्त पर्यटक स्थल के लिए राशि उपलब्ध कराकर दलमा एवं पलना डैम को विकसित करने का विचार रखती है, यदि हॉं, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	पर्यटन विभाग द्वारा नौका का फिटनेस एवं नौका विहार करने वालों की सुरक्षा एवं व्यवस्था बहाल करने संबंधित मांगा गया प्रतिवेदन उपायुक्त से प्राप्त नहीं हो सका है। अतः तत्काल यह योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/24/2014 384 /राँची, दिनांक 26.02.2014 /

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 574/वि०स०, दिनांक 19/02/2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/14

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।